

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....<sup>रिजिस्ट्रार</sup>..... बनाम.....<sup>व्यक्ति</sup>.....  
 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 161/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/04/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी <del>श्री</del> / श्रीमती <u>जन्दु वासुदेव लाल जार - भैरव</u></p> <p>पिता श्री <u>महेश लाल जार R/o करवेडा</u></p> <p>निवासी- <u>करवेडा</u> तहसील <u>वस्ती</u> व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम.....  <u>करवेडा (पन्हा 20 मयूर स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 153 307/30</u>  <u>69 85 0.21 1.29</u>  <u>0.53 0.31</u></p> <p>कुल कीता ..... 04 ..... कुल रकबा ..... 2.3400 ..... है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>करवेडा (पन्हा 20 मयूर तह. वस्ती)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>153 307/30 69 85</u>  <u>0.21 1.29 0.53 0.31</u></p> <p>कुल कीता ..... 04 ..... रकबा..... 2.3400 ..... है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500/- रुपये अक्षर <u>रक 6 जार एक्ट. ला</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(बिनु दिवाल)        सहायक कलक्टर एवं        उपखण्ड अधिकारी        चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>